

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- रवाति गुप्ता

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 027/2024

1. मदनलाल पुत्र मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सायुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- प्रार्थी

## बनाम

1. मंजूबाला पत्नी मदनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सायुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-- अप्रार्थीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

### उपस्थित अभिभाषकगण:-

1. श्री सजय कुमार शर्मा अधिवक्ता
2. श्री जयनारायण शर्मा अधिवक्ता

-- प्रार्थी  
-- अप्रार्थीगण



## निर्णय

दिनांक :- 13.05.2024

प्रार्थी मदनलाल ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रार्थी के नाम आराजी चक नम्बर 1 के.एच.आर. जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 खाता संख्या 70/72 में 5.7060 हेक्टर भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व इसी चक के खाता संख्या 72/76 में दर्ज 2.2010 हेक्टर अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी खलम प्रार्थना पत्र है।

उक्त आराजी में आने जाने के लिये प्रार्थी को कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है प्रार्थी, अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम दर्ज चक नम्बर 1 के.एच.आर. पत्थर नम्बर 237/200(63) किला नम्बर 1/1/0.2030, 10/1/0.2280, 11/1/0.2280, 20/1/0.2280 में से अपनी कृषी भूमि में चालू रास्ता से आता जाता है। यह रास्ता उत्तर से दक्षिण लम्बा पूर्व दिशा के विपता है, जो अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त किलों में रास्ता मौका पर चालू है जिसका प्रार्थी उपयोग कर रहा है प्रार्थी उक्त वर्णित किलों में चालू शुदा रास्ता चक नम्बर आर. पत्थर नम्बर 237/200(63) किला नम्बर 1/1/0.2030, 10/1/0.2280, 11/1/0.2280, 20/1/0.2280 प्रत्येक में चालू 1-1 विस्वा उत्तर से दक्षिण लम्बा

पूर्व दिशा के विपता स्वीकृत करवाना चाहता है इस रास्ते के अलावा प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिये नजदीकी रास्ता नहीं है प्रार्थी के अपने खेत में आने जाने के लिये कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है जिससे उसे भारी परेशानी व मानसिक वेदना हो रही है इसलिये प्रार्थी को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। प्रार्थी इन्ही किलों में से होकर अपने खेत में आता जाता है। यह रास्ता पिछले 10 वर्षों से चला आ रहा है व मौका पर चालू है। वर्तमान में प्रार्थी अपने खेत में आने-जाने के लिये इसी रास्ते का उपयोग व उपयोग कर रहा है। अब अप्रार्थीया संख्या 1 उक्त रास्ता को बंद करने पर आमादा है, यदि अप्रार्थीया संख्या 1 अपने इस विधि विरुद्ध कृत्य में कामयाब हो गयी तो प्रार्थी अपने खेत में आने-जाने से वंचित रह जायेगा, जिससे उसे अपूर्णतय क्षति व घोर मानसिक वेदना होगी व नाहक मुकदमेबाजी बढेगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तहशीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि चक नम्बर 1 के.एच.आर. पत्थर नम्बर 237/200(63) किला नम्बर 1/1/0.2030, 10/1/0.2280, 11/1/0.2280, 20/1/0.2280 प्रत्येक में चालू 1-1 बिस्वा उत्तर से दक्षिण लम्बा पूर्व दिशा के विपता रास्ता स्वीकृत किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना-पत्र पेश होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में तहशीलदार राजस्व से रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना सहमति का जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक नम्बर 1 के.एच.आर. खाता संख्या 70/72 में 5.7060 हैक्टर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 72/76 में दर्ज 2.2010 हैक्टर मुझ अप्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रार्थी को अपनी आराजी चक नम्बर 1 के.एच.आर. खाता संख्या 70/72 में वर्णित आराजी में आने जाने के लिये कोई मन्जूर शुदा रास्ता स्वीकृत नहीं है जिसके कारण प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने व काश्त करने में परेशानी होती है प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिये मुझ अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी चक नम्बर 1 के.एच.आर. पत्थर नम्बर 237/200(63) किला नम्बर 1/1/0.2030, 10/1/0.2280, 11/1/0.2280, 20/1/0.2280 प्रत्येक में चालू 1-1 बिस्वा उत्तर से दक्षिण लम्बा पूर्व दिशा के विपता रास्ता में से होकर अपनी भूमि में प्रवेश करता है उक्त रास्ता मौका

पर चालू उक्त चालू रास्ता स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीया संख्या 1 को कोइ आप्ति नहीं है इस रास्ता के अलावा प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिये और कोई रास्ता नहीं है प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने के लिये मुझ अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी चक नम्बर 1 के.एच.आर. पत्थर नम्बर 237/200(63) किला नम्बर 1/1/0.2030, 10/1/0.2280, 11/1/0.2280, 20/1/0.2280 प्रत्येक में चालू 1-1 बिस्वा उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा के चिपता रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किया जाता है तो मुझ अप्रार्थीया को कोई उज्र व ऐतराज नहीं है। इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है। तहसीलदार राजस्व, टिब्बी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहमति का जबाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली में संलग्न जमाबन्दीयों व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, व तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के जवाब प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते के अभाव के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

### क्रियात्मक आदेश

प्रार्थी एवम् अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाब प्रार्थना-पत्र मय राजीनामा के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 मंजूबाला की कृषि भूमि चक नम्बर 1 के.एच. आर. पत्थर नम्बर 237/200(63) किला नम्बर 1/1/0.2030, 10/1/0.2280, 11/1/0.2280, 20/1/0.2280 प्रत्येक में चालू 1-1 बिस्वा उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा के चिपता रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(स्वाति गुप्ता)  
उपसपक्ष अधिकारी एवम्  
पदेवेन सहायक कलक्टर  
टिब्बी